दिनांक 03.06.2020 को प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अध्यक्षता में मुख्यालय राँची के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ Video Conferencing की कार्यवाही

सर्वप्रथम प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ने प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का स्वागत करते हुए Video Conferencing के एजेण्डों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस Video Conferencing में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवानिवृति के बाद मिलने वाले लाभ यथा GPF, GIS, Pension, Gratuity, आदि के भुगतान के लंबित मामलों पर विमर्ष किया गया। प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने अपने पहले संबोधन में Service matter से संबंधित त्वरित निष्पादन पर बल देते हुए, इस बात को रेखांकित किया कि सेवानिवृति के अंतिम दिन अथवा जितनी शीघ्र संभव हो सके उतनी शीघ्र सेवान्त पावनाओं का भुगतान सेवानिवृत कर्मचारियों को कर दिया जाय, जिससे कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से न्यायालय वाद दायर नहीं करना पड़े। न्यायालय वाद के मामले में अनावश्यक रूप से पदाधिकारियों का समय एवं संसाधन नष्ट होता है। यदि सेवान्त पावनाओं का ससमय भुगतान कर दिया जाय तो विभाग में न्यायालय वाद दायर होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। विभाग द्वारा Video Conferencing के लिए निर्धारित कार्य सूची के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1.(i) वर्ष 2020 में सेवासंवर्ग IFS/JFS/वन क्षेत्र पदाधिकारी जनवरी-जून, 2020 तक सेवानिवृत/मृत हुए/होने वाले पदाधिकारियों के सेवान्त लाभ के लंबित मामलों का निष्पादन दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक हर हाल में कर लिया जाय।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के बीच सेवानिवृत/मृत पदाधिकारी के मामलों का निष्पादन दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(iii) अप्रैल, 2017 के पूर्व सेवानिवृत/मृत के लम्बित सभी मामलों का निष्पादन दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक निश्चित रूप से कर लिया जाय।

(iv) एक कंडिका-1(i-iii) के लम्बित मामलों की सूची तैयार कर नियमित मोनेटरिंग विशेष सचिव/प्रभारी स्थापना संयुक्त सचिव साप्ताहित समीक्षा की जाय।

(v) श्री अशोक कुमार, मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), राँची उक्त में सहयोग करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष मामलों को रखेंगे।

(vi) 15.06.2020 को प्रातः 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित) के साथ प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(vii) वन क्षेत्र पदाधिकारियों/राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवष्यकता होती है। इस संबंध में विषेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने आष्वासन दिया कि विभाग उक्त प्रमाण पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची के पत्र के एक सप्ताह के अन्दर या पदाधिकारी के सेवानिवृति के दो माह पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर उपलब्ध करा देगा। इसका ब्यौरा तैयार कर विभागीय Portal पर भी उपलब्ध करा दिया जाय। ऐसे कर्मी जो कंडिका–1(i)–(iii) के अधीन आच्छादित है, उसका ब्यौरा 19.06.2020 तक मुख्यालय को दें।

(viii) वन क्षेत्र पदाधिकारियों/राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों, जिनकी सेवापुस्तिका योजना–सह–वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची में संधारित की जाती है, से सेवा इतिहास एवं अवकाष आदेयता प्राप्त करना होता है। इसी के आधार पर अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाता है। योजना–सह–वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची से समय पर उक्त प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने में विलम्ब होता है। इस बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी ऐसे मामलों को संकलित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के प्रस्ताव पर विभाग योजना–सह–वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध करेगा। इसे प्राप्त कर मामले को निष्पादन निर्धारित समय–सीमा में किया जायेगा। यह पेंशन निर्धारण हेतु महालेखाकार को भी आवश्यकता होती है।

2.(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा बताया गया कि अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों (कंडिका–1 को छोड़कर) के सेवान्त पावनाओं से संबंधित सभी निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर ही लिये जाते हैं, इसलिए प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा कंडिका–1 में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सारे मामले का निष्पादन 15 जुलाई, 2020, 31 अगस्त, 2020 एवं 30 सितम्बर,

2020 तक कर लिया जाय। लम्बित सूची तैयार कर नियमित Monitoring मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक अराजपत्रित श्री एन0 एस0 आर0 कुमार करेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी समीक्षा दिनांक–17.06.2020 प्रातः 11.30 बजे सभी ब्यौरा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक) अराजपत्रित के साथ समीक्षा करेंगे ।

(ii) क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार के मामलो की समीक्षा करेंगे तथा समय–सीमा का पालन करायेंगे। सभी प्रतिवेदन मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित) को उपलब्ध करायेंगे ।

(iii) मुख्य वन संरक्षक, अराजपत्रित एक सूची तैयार कर विभागीय पोर्टल पर रखेंगे ताकि Monitoring में सुविधा हो। इसे Monthly Update किया जाय ।

3.(i) <u>वन क्षेत्र पदाधिकारियों / राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों के ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0</u> की स्वीकृति के संबंध में बैठक दिनांक 15.07.2020 को निर्धारित है। इस बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी जिनके यहाँ इस प्रकार के मामले हैं, सभी संबंधित पदाधिकारी दिनांक–15.06.2020 तक प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित करेंगे तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची दिनांक–23.06.2020 तक संकलित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) कई मामलो में न्यायालय में भी कर्मी है, इसका निष्पादन प्राथमिकता है। ऐसे मामले सम्पूर्ण तथ्यों के साथ 100% List किया जाय।

(iii) कतिपय कर्मी का पेंशन उक्त के कारण लम्बित होगा, अतः यह सभी 100% लम्बित मामले लिस्ट हो तथा अंतिम निर्णय हो।

(iv) Final list portal पर 24.06.2020 तक राज्य मुख्यालय उपलब्ध करा दें ताकि जो defect हो, संबंधित सूचना देकर correct कराये। आपत्ति 07.07.2020 तक प्राप्त करें। आपत्ति निराकरण / स्थिति के साथ प्रारम्भिक समीक्षा 12.07.2020 तक किया जाय।

(v) विहित प्रपत्र में ही सूचना Portal पर डाले जिस तथ्यों पर निर्णय लेना है नियुक्ति का वर्ष, विभागीय परीक्षा पास की स्थिति तिथियार, पूर्व नियमित प्रोन्नति की स्थिति / तिथि सहित, दण्ड / आरोप की स्थिति तिथि सहित, प्रोपर्टी रिर्टन की स्थिति, आन्तरिक निगरानी, निगरानी / लोकायुक्त की स्थिति।

(vi) उक्त की प्रारम्भिक समीक्षा 24.06.2020 को विशेष सचिव/मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित) तथा सचिवालय की टीम के साथ करें।

4. क्षेत्रीय स्तर तथा अन्य स्थापना के लम्बित ACP/MACP के मामलो को भी सक्षम पदाधिकारी 31.07.2020 के पूर्व अन्तिमीकरण अवश्य करे। कृपया ब्यौरा तैयार कर Portal पर डाल कर त्रुटि निराकरण कर लें। कंडिका-3 के अनुरूप विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जाय। मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित) मोनेटरिंग करेंगे।

5. केवल भारतीय वन सेवा (IFS) के पदाधिकारियों के <u>सेवा संपुष्टि</u> का प्रस्ताव लंबित है, जिस पर विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। यह यथाशीघ्र सभी सतर पर समन्वय कर पूर्ण की जाय। यह कार्रवाई विभाग स्तर पर 19.06.2020 के पूर्व पूर्ण की जाय।

6. <u>मार्च, 2021 तक सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियो की सूची संधारित</u> कर ली जाय। इस बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि इनकी सेवान्त पावनाओं के भुगतान हेतु अभी से तैयारी प्रारम्भ की जाय, जिससे कि इन्हें ससमय सेवानिवृति लाभ मिल सके। सेवानिवृत के तिथि को भुगतान 31.08.2020 से प्रारंभ करें। ब्यौर संधारित रखा जाय। मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित/अराजपत्रित) अपने-अपने से संबंधित मामलों की सूची तैयार कर Follow-up करें। मासिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। 07 जुलाई, 2020 को इसकी प्रथम बैठक अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर 11.30 बजे किया जायेगा।

7. सभी पदाधिकारियों द्वारा यह सूचना दिया गया कि AC-DC Bill के द्वारा निकासी का प्रावधान वन विभाग में नहीं है। वित्त विभाग के पत्रांक-754/वि दिनांक-20.03.2020 द्वारा (01.05.2007-03.03.2020 तक) रू0 677.35 लाख AC-DC लम्बित है। इसको Track कर निष्पादन किया जाय। यह गलत वर्गीकरण के कारण प्रतिवेदित है, तक भी इसे वित्त विभाग/महालेखाकार से समन्वय कर ठीक कराया जाय।

8. विभिन्न अनुदानों के विरूद्ध Utilization Certificate सामान्यतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के द्वारा सरकार/भारत सरकार को भेजा जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के जो भी लंबित मामले हैं उसे सरकार/भारत सरकार को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को वित्त विभाग द्वारा संचालित Portal पर Upload करने

का निर्णय लिया गया। इससे भविष्य में कोई शिकायत नही होगी। संबंधित पदाधिकारी वित्त विभाग के PMU से समन्वय कर इसका समाधान करें।

9.(i) कुल 113 स्थापनाओं में से 13 स्थापनाओं यथा चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़ एवं साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी, राँची वन प्रमण्डल, राँची; सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, लातेहार का माह मार्च, 2020 का लेखा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को समर्पित नहीं किया गया है। ऐसे पदाधिकारी, जिन्होंने अपना लेखा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को समर्पित नहीं किया है, उन्हें 09.06.2020 तक लेखा समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से निदेशित किया गया।

(ii) ऐसे प्रमण्डल में ऐसे पदाधिकारी/कर्मी जिसके कारण लेखा लम्बित है, वैसे के नियत्रण में किये गये कार्यों की जाँच क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा टीम गठन कर जाँच प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को समर्पित करेंगे। लापरवाह पदाधिकारी के विरूद्व कार्रवाई की जाय। ऐसे पदाधिकारी/कर्मी का पूर्व 3 वर्ष का conduct भी इस बिन्दु पर देखा जाय एवं प्रतिवेदन दिया जाय।

(iii) सभी जाँच report दिनांक–25.06.2020 तक अवश्य दें ।

(iv) Authority AG से प्राप्त नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक समन्वय करें।

(v) Authority प्राप्त कर तत्काल सत्यापित मामलों का निष्पादन हो।

(vi) कतिपय स्थापना का फरवरी, 2020 का लेखा भी लम्बित है। यह लापरवाही पूर्णतः अनुचित है। इसकी पुनरावृति न किया जाय।

10. विभिन्न प्रकार के <u>अग्रिमों के समायोजन</u> के मामलों पर नियमानुसार निर्धारित समय में कार्रवाई कर ली जाय। JFR का पालन हो। 30 दिन के अन्दर समायोजन किया जाय।

11. ऐसे मामलों, जिसके <u>कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक</u> कर रखा गया है, की सूची प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को कारण सहित उपलब्ध कराया जाय एवं इस प्रकार के मामलों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए यथाशीघ्र निष्पादन करेंगे। वेतन सामान्यतः अवरूद्ध नहीं करना चाहिए। कार्य अवधि

का वेतन भुगतान करना चाहिए। अनिर्णय अवधि का निर्णय 30.06.2020 तक में लिया जाय। मुख्यालय पर कोई मामला लम्बित हो तो निष्पादन तुरन्त किया जाय।

12. EL, Child Care Leave, Medical Leave, Medical Reimbursement, LTC/H.T.C. के मामलों पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/विभाग द्वारा शीघ्र निष्पादन करने का निर्णय लिया गया। लम्बित मामले लिस्ट तैयार किया जाय तथा संबंधित पदाधिकारी/कर्मी अपनी समस्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विशेष सचिव/क्षेत्रीय सक्षम पदाधिकारी के समक्ष रखे। मासिक समीक्षा प्रभारी संयुक्त सचिव/उप सचिव के माध्यम से विशेष सचिव करें।

13. विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची ने अवगत कराया कि Lockdown Period में कई स्थानों पर <u>वनों में अवैध पातन</u> की घटना विशेष शाखा द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें ज्यादातर मामले मेदिनीनगर वन प्रमण्डल से संबंधित हैं। इसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची एक <u>टीम गठन</u> करके इस घटनायें की जाँच करायेंगे तथा 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा <u>सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक</u> को भी निर्देश दिया गया कि सभी अपने–अपने क्षेत्र में सुनिश्चित हो लें कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें तो नहीं हुई है, यदि हुई है तो उसपर क्या कार्रवाई की गयी। घटना की सूची एवं कृत कार्रवाई की विवरणी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को समर्पित की जायेगी। अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–11/प्र0स0को0 दिनांक–27.05.2020 द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है।

14. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा चाईबासा स्थित वन मुख्यालय में कार्यस्थल की कमी के संबंध में प्रधान सचिव, वन, पर्यावारण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को अवगत कराया, जिस पर विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि चाईबासा में 02 Building का Layout Plan, Estimate एवं उस पर Technical Sanction के साथ प्रस्ताव समर्पित करें। इस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

15.(i) प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा कतिपय Audit Para के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया है। सभी पदाधिकारियों को

निदेश दिया गया कि सभी Audit Para के संबंध में एक तथ्यात्मक एवं संतुलित जवाब उपलब्ध कराया जाय।

(ii) इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में एक समिति गठित है जो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर Audit Para पर चर्चा एवं उनके निष्पादन हेतु बैठक आयोजिक कर उनका निष्पादन कराती है। उक्त समिति की नियमित बैठक कराने का निर्देश मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, झारखण्ड, राँची को दिया गया।

(iii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक भी अपने review agenda में Audit Report को शामिल करे।

(iv) अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–14/प्र0स0को0 दिनांक–04.06.2020 द्वारा निर्देश निर्गत है, उसका अनुपालन हो।

(v) मुख्य वन संरक्षक, निगरानी सर्तकता कृपया कंडिका–14(iv) के क्रम में सूचना compile करें। वर्तमान Audit Reports एवं गत 3 वर्ष की Audit Report से मुख्यतः Confiscated Vehicle Seizure & disposal, other confiscated material & disposal को प्रमण्डलवार compile कर, 15 दिनों पर Video Conferencing से review करें एवं 31 जुलाई, 2020 के पूर्व Auction कर राशि कोषागार में जमा करायें। इसका एक प्रमण्डलवार संक्षिप्त ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी को 08.07.2020 तक मुख्य वन संरक्षक, निगरानी दें एवं विमर्श करें।

(vi) शेष का अनुपालन भी देखे, नीति बने ताकि एक ही गलती की पुनरावृति न हो तथा दोषी पर कार्रवाई भी हो। एक प्रारूप 30.08.2020 तक दें, जो सामान्य गलतियों की पुनरावृत्ति की है। यह कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक एक टीम बनाकर करायें।

16. Video Conferencing के दौरान कुछ वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर पर Procurement Committee के गठन का अनुरोध किया गया। इस संबंध में विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में दो स्तरों पर Committee विभाग द्वारा गठित हैं एक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्तर की गठित समिति वनरोपण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित सामग्रीयों के क्रय हेतु तथा अपर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची स्तर पर गठित समिति विभिन्न प्रकार की सेवाओं के Procurement हेतु गठित

है। वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा वन प्रमण्डल के स्तर पर Procurement Committee गठित करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक / विशेष सचिव विशेष अध्ययन कर प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

17. <u>वन विकास निगम</u> से संबंधित 299 केन्दु पत्ती लॉटों की बिक्री की जानी थी, जिनमें सिर्फ <u>60 लॉटों</u> की बिक्री हुई है एवं शेष लॉट की अबिक्रित रह गये हैं। इसकी संभवतः प्रबंध निदेशक, झारखण्ड वन विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी प्रादेशिक प्रमण्डलों को सूचना दे दी गयी होगी। यदि अबिक्रित उक्त लॉटों में किसी प्रकार की अनियमितता यथा केन्दु पत्ती संग्रहण एवं परिवहन की घटनाएँ होती है तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिम्मेवारी संबंधित प्रादेशिक प्रमण्डल की होगी।

18. <u>विभागीय कार्रवाई</u> के मामलों में काफी <u>शिथिलता</u> देखी जा रही है, यह अनुचित है। यह आरोपी पदाधिकारी को मदद करती है तथा निर्दोष कर्मियों को परेशान करता है। निम्न निर्णय लिया गया :–

(i) सभी विभागीय कार्रवाई अधिकतम 105 दिन में संचालन पदाधिकारी को पूर्ण करना है। पूर्व में लम्बित तथा इस अवधि के beyound लम्बित का निष्पादन संचालन पदाधिकारी अगले 60 दिन में करेंगे। यह अंतिम मौका है। भविष्य में 105 दिन की समय सीमा का पालन किया जायेगा।

(ii) उपस्थापन पदाधिकारी मजबूत तरीके से साक्ष्य रखेंगे। अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर गंभीर फलाफल होंगे। उपस्थापन पदाधिकारी के विरूद्व कार्रवाई की जायेगी।

(iii) कंडिका–18(i) 5(ii) के पदाधिकारी के विरूद्व भी कार्रवाई की जा सकती है।

(iv) भविष्य में Memo of Charges तैयार करते समय Specific documentary evidence को ही मात्र आधार बनाया जाय। ऐसे परिपत्र Act/Rules जिसका उल्लंघन है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(v) लघुदण्ड के मामलों में स्थापित प्रक्रिया के तहत् बिना विभागीय कार्रवाई संचालन के दण्ड अधिरोपण किया जाय।

(vi) मुख्य वन संरक्षक, अराजपत्रित ब्यौरा संकलित कर Monitor करें। दिनांक–29.06.2020 तक एक Status report के साथ 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के साथ विमर्श करें।

19. पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व दायर FIR/Criminal लम्बित वादो की सूची तैयार कर अद्यतन Status के साथ समीक्षा किया जाय ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके। मुख्य वन संरक्षक, राजपत्रित / अराजपत्रित क्रमशः ब्यौरा तैयार करें। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीर टिप्पणी की है। इसके निष्पादन में समन्वय विभिन्न स्तर पर करना है। 25.06.2020 तक का सूची के साथ विमर्श करें।

20. अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मियों के ACR को Objective/Evidence based पर अंकित किया जाय ताकि काफी समस्या का समाधान स्वतः हो जाय।

21. कंडिका—18 के अनुरूप राजपत्रित पदाधिकारी के मामलों की सूची के साथ विमर्श किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ap 08/06/2020
प्रधान सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 17 प० मु० के०/० व०प० राँची दिनांक— 08/06/2020

प्रतिलिपि :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी) / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी) / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी) / मुख्य वन संरक्षक (सभी) / वन संरक्षक (सभी) / वन प्रमण्डल पदाधिकारी (सभी) / उप वन संरक्षक (सभी) / उप निदेशक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित) इसे विभागीय Portal पर संधारित कराना सुनिश्चित करें।

Ap 08/06/2020
प्रधान सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 17 प० मु० के०/० व०प० राँची दिनांक— 08/06/2020

प्रतिलिपि :— विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 08/06/2020
प्रधान सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।